सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1.अपील संख्या 102/15 **निर्णय दिनांकः—13.04.2018**

1. रहीमबक्स पुत्र इलाहीबक्स जाति मुसलमान निवासी मीरणवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. सैयद अली
3. यासीन खॉ
4. सादक खॉ
5. साबर खॉ

पिसरान अल्लादिता जाति मुसलमान निवासी मीरणवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।
2. जानू खॉ पुत्र उमर खॉ जाति मुसलमान निवासी मीरणवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

2.अपील संख्या 193/15

1. रहीमबक्स पुत्र इलाहीबक्स जाति मुसलमान निवासी मीरणवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. सैयद अली
3. यासीन खॉ
4. सादक खॉ
5. साबर खॉ

पिसरान अल्लादिता जाति मुसलमान निवासी मीरणवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।
2. जानू खॉ पुत्र उमर खॉ जाति मुसलमान निवासी मीरणवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

3.अपील संख्या 393/16

1. रहीमबक्स पुत्र इलाहीबक्स जाति मुसलमान निवासी मीरणवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. सैयद अली
3. यासीन खॉ
4. सादक खॉ
5. साबर खॉ

पिसरान अल्लादिता जाति मुसलमान निवासी मीरणवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. पीरबक्स पुत्र जानू खॉ जाति मुसलमान निवासी मीरणवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्स

अपीलें विरूद्व आदेश दिनांक
17—01—2011, 12—11—2008 व 26—12—2008
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः—

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपीलें सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 17—01—2011 जिसके द्वारा अपीलांट की पुरानी गैर खातेदारी भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को मिडियम पेच आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना

में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. तीनों अपीलों में निर्णय किये जाने योग्य वैधानिक प्रश्न समान है इसलिए इन दोनों अपीलों को एक ही कोमन निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। इस निर्णय की एक–एक प्रति उपरोक्त तीनों पत्रावलियों पर रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने तीनों अपीलों में कॉमन बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट की मिसल बन्दोबस्ती के समय की पैतृक भूमि ग्राम मीरणवाला के खसरा नम्बर 60/4/3 व 5 में 230 बीघा तथा खसरा नम्बर 6 में 86.5 बीघा इस प्रकार कुल 316.5 बीघा भूमि संयुक्त खाते की थी। उक्त भूमि चक प्लान में आने पर चक 18 एसएमडी के मुरब्बा नम्बर 181/8 में 21 बीघा, 181/13 में 10 बीघा, 181/21 में 15 बीघा, 181/29 में 10 बीघा, 181/37 में 2 बीघा, 181/38 में 22 बीघा, 181/30 में 25 बीघा, मुरब्बा नम्बर 181/22 में 25 बीघा, मुरब्बा नम्बर 181/14 में 17 बीघा, मुरब्बा नम्बर 181/7 मं 25 बीघा, मुरब्बा नम्बर 181/15 में 1 बीघा, 181/23 में 25 बीघा, मुरब्बा नम्बर 181/31 में 25 बीघा, मुरब्बा नम्बर 181/39 में 7 बीघा, मुरब्बा नम्बर 181/16 में 25 बीघा इस प्रकार कुल 265 बीघा भूमि रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें से चक 18 एसएमडी के मुरब्बा नम्बर 181/24 व मुरब्बा नम्बर 181/32 में कुल 25 बीघा भूमि का आंवटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट की भूमि में से कुछ भूमि का दावा डिक्री करवा लिया गया। जिसका रेफरेन्स होन पर वह दावा निरस्त हो गया। राजस्व मण्डल में रेफरेन्स स्वीकार होकर रेस्पोडेन्ट का दावा डिक्री निरस्त हो गई जिसके विरूद्व रेस्पोडेन्ट माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई जहॉ उनका स्टे था। इस दौरान एसीसी कोलातय से तथ्य छिपाकर मिलीभगत करके उक्त भूमि अपीलाधीन आदेश द्वारा टीसी से पुख्ता करवा ली गई। जबकि उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट को कभी भी टीसी में आवंटित नहीं रही है।

रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त आवंटन के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका को दिनांक 27—03—2009 का विड्रा कर ली गई। रेस्पोडेन्ट का कृत्य मैलाफाईड इन्टेशन को प्रकट करता है।

उन्होंने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा एक तरफ तो दावा डिक्री होने का क्लेम लेकर उच्च न्यायालय तक चाराजोई की गई। उसमें रेस्पोडेन्ट को सफलता प्राप्त नहीं होने पर नई कहानी के आधार पर टीसी से पुख्ता आवंटन करवा ली गई। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि चक 18 एसएमडी के मुरब्बा नम्बर 181/24 व मुरब्बा नम्बर 181/32 में कुल 25 बीघा भूमि का टीसी से पुख्ता आवंटन गैरकानूनी रूप से किया गया है जिसका कतई अधिकार अदालत मातहत को प्राप्त नहीं था।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत को रेस्पोडेन्ट के टीसी से पुख्ता आवंटन से पूर्व संबंधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाना चाहिए था। ऐसी ऐसा किया जाता तो तत्समय ही सही स्थिति अदालत मातहत के समक्ष प्रकट हो जाती। अदालत मातहत द्वारा ऐसा नहीं करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है। वादगत् भूमि के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किये जाने के समय न तो अपीलांट को कोई नोटिस जारी किया गया ना ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत के समक्ष जब यह तथ्य स्पष्ट था कि वादगत् भूमि बाबत् माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश जारी किया हुआ है ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को रेस्पोडेन्ट के पक्ष में वादगत् भूमि का आवंटन नहीं किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आखें बन्द करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है ऐसा आदेश आवंटन नियमों के विपरीत होने से काबिल निरस्त आदेश है। प्रकरण यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि अपीलांट की पैतृक भूमि

थी ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि आवंटन योग्य उपलबध भूमि नहीं होने के कारण अदालत मातहत द्वारा किया गया आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य व एबईनिशियो वाईड आवंटन की परिभाषा में आता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या ने तीनों अपीलों में कॉमन बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि गुलामकादर को खसरा नम्बर 60/4 में 45 बीघा भूमि बारानी संवत् 2036 में दिनांक 10—06—1968 को आवंटित की गई तथा जिसका संवत् 2016 तक बराबर नवीनीकरण होता रहा है। इसके बाद उक्त रकबा चकों में परिवर्तित होने पर चक 18 एसएमडी के मुरब्बा नम्बर 181/14 में 8 बीघा तथा मुरब्बा नम्बर 181/15 में 10 बीघा कमाण्ड व 4 बीघा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 181/9 में 25 बीघा कमाण्ड के रूप में पैमूद हुआ। दिनांक 13—05—1983 को उक्त भूमि राजस्थान का मूल निवासी नहीं होन के कारण खारिज कर दिया गया। इसके पश्चात् प्रार्थी ने टीसी में आवंटित भूमि की गैर खातेदारी की धोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया जो डिक्री धोषित किया गया। इसके पश्चात् दिनांक 30—06—1994 को उक्त गैर खातेदारी खारिज करते हुए रकबा आराजीराज धोषित कर दिया गया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी टीसी भूमि को पुख्ता आवंटन हेतु श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के न्यायालय में अपील दायर की गई। उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 30—11—2005 को अपील खारिज कर दी गई। जिसके विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 22—04—2008 को अपील स्वीकार कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि विवादित आराजी पर निरन्तर कब्जा होने की दशा में उन्हें नियमन द्वारा आवंटन करने हेतु पुर्नविचार किया जावे। उक्त आदेश के अनुसरण में अदालत मातहत द्वारा पुनः कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा तहसील से वादगत् भूमि के बाबत् वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसील के पत्र संख्या 2057 दिनांक 25—06—2008 के अनुसार खसरा नम्बर 60 से चक 18 एसएमडी के मुरब्बा नम्बर 181/14 व 181/15 पर बहैसियत अतिक्रमी काबिज मानते हुए व रेस्पोडेन्ट द्वारा वर्ष 1984,

1988 व 1993 की वोटर सूची की फोटो प्रति व शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तथा लगातार 15 वर्ष से अधिक राजस्थान का मूल निवासी होने पर आवेदन को वादगत् भूमि का वर्ष 1979 से टीसी आवंटन होने व दो वर्ष तक बराबर नवीनीकरण भी होना पाये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपने विवेचन में माना है कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट को सर्वप्रथम टीसी में आवंटित थी। वादगत् भूमि पुख्ता आवंटन नहीं होने के कारण रकबाराज दर्ज रही, परन्तु आवेदन अतिक्रमी की हैसियत से काबिज रहा है।

इस संबंध में आयुक्त उपनिवेशन द्वारा निर्देश जारी किये गये कि टीसी आवंटियों को आवंटित भूमि का रिकार्ड में अंकन नहीं है और मौके पर वे काबिज है तो टीसी की परिभाषा में मानकर पुख्ता आवंटन की जावे। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को टीसी आवंटन का पात्र मानते हुए टीसी में आवंटित भूमि पुख्ता आवंटन हेतु पत्रावली को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पेश करने के आदेश प्रदान किये गये।

तत्पश्चात् दिनांक 26—12—2008 को रेस्पोडेन्ट को 25 बीघा भूमि का पात्र मानते हुए चक 18 एसएमडी के मुरब्बा नम्बर 181/14 में 7 बीघा 9 बिस्वा व 181/15 में 11.11 बीघा कमाण्ड व 1 बघा 13 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया है। अपीलांट द्वारा अपने अपील मीमों में मुरब्बा नम्बर 181/24 व मुरब्बा नम्बर 181/32 में 25 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटन किये जाने का कथन किया है। जोकि अपीलांट को आवंटित भूमि से भिन्न मुरब्बा नम्बर है। इस प्रकार अपीलांट वादगत् से किसी भी प्रकार से व्यथित नहीं है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व संबंधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई थी। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के आवंटन की तमाम प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अपीलांट द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है जोकि एक वेग अपील है। अपीलांट का वादगत् भूमि से कोई लेना—देना नहीं है। केवल मात्र रेस्पोडेन्ट को तंग व परेशान करने की नियत मात्र से अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाते हुए अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जावें।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 12—11—2008 व 26—12—2008 के विरूद्व अपील दिनांक 17—08—2009 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर पारित किये गये है। अतः अपीलांट्स के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि चक 18 एसएमडी के मुरब्बा नम्बर 181/24 व 181/32 में 25 बीघा भूमि का टीसी से पुख्ता आवंटन किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(3) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलांट की मिसल बन्दोबस्ती के समय की पैतृक भूमि ग्राम मीरणवाला के खसरा नम्बर 60/4/3 व 5 में 230 बीघा तथा खसरा नम्बर 6 में 86.5 बीघा इस प्रकार कुल 316.5 बीघा भूमि संयुक्त खाते की थी। उक्त भूमि चक प्लान में आने पर चक 18 एसएमडी के मुरब्बा नम्बर 181/8 में 21 बीघा, 181/13 में 10 बीघा, 181/21 में 15 बीघा, 181/29 में 10 बीघा, 181/37 में 2 बीघा, 181/38 में 22 बीघा, 181/30 में 25 बीघा, मुरब्बा नम्बर 181/22 में 25 बीघा, मुरब्बा नम्बर 181/14 में 17 बीघा, मुरब्बा नम्बर 181/7 में 25 बीघा, मुरब्बा नम्बर 181/15 में 1 बीघा, 181/23 में 25 बीघा, मुरब्बा नम्बर 181/31 में 25 बीघा, मुरब्बा नम्बर 181/39 में 7 बीघा, मुरब्बा नम्बर 181/16 में 25 बीघा इस प्रकार कुल 265 बीघा भूमि रिकार्ड में दर्ज है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अपीलांट की आक्यूपाईड लैण्ड थी तथा आवंटन के लिए तत्समय उपलब्ध नहीं थी। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को किया गया आवंटन विधि विरूद्व आवंटन है।

(4) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को पूर्व में टीसी से आवंटित भूमि खसरा नम्बर 60/4 में 45 बीघा भूमि बारानी संवत् 2036 में दिनांक 10—06—1968 को आवंटित की गई तथा जिसका संवत् 2038 तक बराबर नवीनीकरण होता रहा है। इसके बाद उक्त रकबा चकों में परिवर्तित होने पर चक 18 एसएमडी के मुरब्बा नम्बर 181/14 में 8 बीघा तथा मुरब्बा नम्बर 181/15 में 10 बीघा कमाण्ड व 4 बीघा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 181/9 में 25 बीघा कमाण्ड के रूप में पैमूद हुआ।

(5) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमरे से रिमाण्ड प्रकरण जिसमें प्रार्थीगण के विवादित आराजी पर निरन्तर काबिज होने की दशा में उन्हें नियमन द्वारा आवंटन करने हेतु पुर्नविचार अपेक्षित मानने पर अदालत मातहत द्वारा संबंधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2057 दिनांक 25—06—2008 द्वारा खसरा नम्बर 60 से चक 18 एसएमडी के मुरब्बा नम्बर 181/14 व 181/15 पर बहैसियत अतिक्रमी काबिज मानते रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा आवंटन से संबंधित तमाम दस्तावेजों यथा वर्ष 1984, 1998 व 1993 की वोटर लिस्ट, मूल निवासी प्रमाण पत्र तथा मुख्य पेशा खेती मानते हुए वादगत् भूमि का टीसी से पुख्ता आवंटन किया गया है।

(6) प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि उसकी पैतृक सम्पति है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया साबित हो कि वादगत् भूमि अपीलांट की पैतृक भूमि रही हो। अपीलांट द्वारा अपने अपील मीमों में भी रेस्पोडेन्ट को चक 18 एसएमडी के मुरब्बा नम्बर 181/24 व मुरब्बा नम्बर 181/32 में कुल 25 बीघा भूमि को टीसी से पुख्ता माना है जबकि अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को चक 18 एसएमडी के मुरब्बा नम्बर 181/14 व 181/15 में 25 बीघा भूमि टीसी से पुख्ता आवंटन किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट वादगत् भूमि से किस प्रकार व्यथित है साबित करने में पूरी तरह से असफल रहे है।

(7) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा आयुक्त उपनिवेशन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में कि टीसी आवंटियों को आवंटित भूमि का रिकार्ड में अंकन नहीं है और मौके पर वे काबिज है तो टीसी की परिभाषा में मानकर पुख्ता आवंटन की जावे। अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश की अनुसरण में रेस्पोडेन्ट को टीसी आवंटन का पात्र मानते हुए टीसी में आवंटित भूमि पुख्ता आवंटन हेतु पत्रावली को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पेश करने के आदेश प्रदान किये गये। तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट को टीसी से पुख्ता किये जाने के आदेश आवंटन सलाहकार समिति की राये से पारित किये गये है।

(8) अपीलांट द्वारा अपने अपील मीमों में पैतृक भूमि मानते हुए जिस भूमि का वर्णन अंकित किया गया है उसमें मुरब्बा नम्बर 181/24 व मुरब्बा नम्बर 181/32 में 25 बीघा भूमि का उल्लेख अंकित नहीं है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत किया जाना प्रथम दृष्टया साबित है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपीलें खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत बहाल रखे जाते है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.04.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर